समक्ष : न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर,

~~केम्प सागर (म.प्र.)~~

R-749-I/17

पुनरीक्षणकर्ता :- संजय पिता हुकमचंद जैन

सा.बोतराई, तह.पथरिया, जिला–दमोह (म.प्र.)

बनाम

उत्तरार्थीगण :- 1. मन्नू पिता बारेलाल गौंड़

2. बोरा पिता रत्ते गौंड़

दोनों निवासी ग्राम समनापुर,

तह.तेंदूखेड़ा, जिला–दमोह (म.प्र.)

द्वारा आज दि. 27/2/17 प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलीय न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, जिला दमोह द्वारा रा.प्र.क्र. 29/बी 121/16–17 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2017 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह अपील सविनय प्रस्तुत कर रहा है।

(प्रकरण के तथ्य)

यह कि उत्तरार्थीगण द्वारा एक आवेदन माननीय के समक्ष जन सुनवाई में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था हमारी जमीन प.ह.नं. 22 में ख.नं. 913 ख रकवा 0.40 हे. जो जमीन हमारे ही ग्राम के सेठ श्रीनंदन पिता हल्काई चंद जैन ने सिकमी पट्टा का झांसा देकर भनेज संजय बल्द हुकमचंद जैन के नाम फर्जी लिखा पड़ी करवा ली है, जो ग्राम बोतराई तहसील पथरिया जिला दमोह का निवासी है। इन्होने पूरा नाम बदलकर संजय बल्द हुकमचंद जैन (गौंड़) बदल लिया है, जिसके साक्षी समस्त दस्तावेज बैनामा सहित अतः मेरे चाचा बोरा बल्द बारेलाल की दवाई हेतु 1000.00 रू. लिये थे जो कि जमीन चार वर्ष गिरवी पट्टा रखी थी। चार

राजेन्द्र पटेरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०-142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

# राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 749–एक / 17 जिला–दमोह

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेष | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 17.3.17 | आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है। आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है। तथा प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। <br> सदस्य | |